



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 11/2025/D-33

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 261458 दिनांक 13/10/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	SANJU JAKHAR W/o RAMNIWAS JAKHAR	श्री अजय सिंह राजावत पुत्र श्री राजसिंह राजावत एवं श्रीमती मिनाक्षी राजावत पत्नि अजय सिंह राजावत	D229	292.40 SQ. METER	Private	JAIPUR GREENS Sector/Block-	Name Transfer	श्री सन्जु झाकर पुत्र श्री रामनिवास झाकर द्वारा निजी खातेदारी की योजना जयपुर ग्रिन्स के भूखण्ड संख्या डी-229 क्षेत्रफल 292.40 वर्गमीटर का नाम हस्तांतरण जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड की लीजडीड दिनांक 11.10.2014 को श्री अजय सिंह राजावत पुत्र श्री राजसिंह राजावत एवं श्रीमती मिनाक्षी राजावत पत्नि श्री अजय सिंह राजावत के पक्ष में जारी की गई थी। तत्पश्चात श्री अजय सिंह राजावत एवं श्रीमती मिनाक्षी राजावत द्वारा रजि. विक्रय पत्र दिनांक-03.11.20



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

21 को श्री वैभव अग्रवाल पुत्र श्री काशी प्रसाद अग्रवाल एवं श्रीमती दिव्या पांडे पत्नि श्री वैभव अग्रवाल को बेचान किया गया है। तत्पश्चात जविप्रा द्वारा नाम हस्तांतरण दिनांक 23.12.2021 को श्री वैभव अग्रवाल एवं श्रीमती दिव्या पांडे के पक्ष में जारी किया गया है। तत्पश्चात श्री वैभव अग्रवाल एवं श्रीमती दिव्या पांडे ने रजि. विक्रय पत्र दिनांक 08.09.2025 द्वारा आवेदक श्री सन्जु झाकर पुत्र श्री रामनिवास झाकर को बेचान किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. SANJU JAKHAR W/o RAMNIWAS JAKHAR को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004